यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी, पथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, पथौरागढ़ के माह 04/2012 से 03/2017 के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.02.2018 से 28.02.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: – पिथौरागढ़
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2012-13	429.55
2013-14	710.01
2014-15	1072.12
2015-16	1389.76
2016-17	1668.19

(ii)(ब) बजट का विवरण:-

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
		लागू नही						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन नहीं होता है। गैर राजस्व प्राप्ति को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---A---श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

स चव- निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक- उपनिदेशक- खान अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में जिला खान अ धकारी, पथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अ धकारी, पथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 03/2014, 10/2015, 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 अ

प्रस्तर- 1 : अवैध खनन पर अर्थदण्ड का न्यूनारोपण `18.86 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औद्ध्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं॰ 1031/VII-1/2015/158-ख/2004 दिनाँक 31.07.2015 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 में संशोधन करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी थी । इस नियमावली के बिन्दु सं॰ 11 द्वारा नियम 13 के उप-नियम-2 के खण्ड (ख) में निम्न प्रकार संशोधन किया गया था:

अवैध भंडारकर्ता/अवैध परिवहनकर्ता/ अवैध खननकर्ता से खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 के उपनियम (2) एवं नियम 21 के उपनियम (5) के अनुसार अर्थदण्ड धनराशि `2,**00,000/-** के अतिरिक्त अवैध उत्खनित खनिज/परिवहन किये जा रहे खनिज की मात्रा का विक्रय मूल्य (रॉयल्टी का पाँच गुना तक) की धनराशि उपरोक्तनुसार आंगणित कर वसूली की जायेगी ।

कार्यालय जिला खान अधिकारी, पिथौरागढ़ के लेखाभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में अवैध खनन से संबन्धित प्रकरणों की पंजिका की नमूना जाँच में पाया गया कि उपखनिज के अवैध परिवहन से संबन्धित 12 प्रकरणों में अवैध परिवहनकर्ताओं पर नियमानुसार रॉयल्टी की धनराशि व अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया गया था (विवरण संलग्न)। नियमानुसार उप-खनिज के अवैध परिवहनकर्ताओं पर न्यूनतम रॉयल्टी की धनराशि व अर्थदण्ड की धनराशि कुल `22,01,290/- प्रशमन किया जाना था जबकि मात्र `3,15,000/- (मय रॉयल्टी) ही प्रशमन किया गया था। इस प्रकार कम प्रशमन किये जाने से विभाग को `18,86,290/- की राजस्व क्षति हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उप-खनिज के अवैध परिवहन से संबन्धित प्रकरणों में जिलाधिकारी द्वारा प्रशमन की कार्यवाही की गयी है। प्रकरणों को जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर कृत कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया था। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि खनिजों के अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन द्वारा कम अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का संज्ञान लेते हुये शासन द्वारा अपने आदेश सं॰ 1888/VII-I/16/158ख/2004 टीसी-1 दिनाँक 13.12.2016 द्वारा समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं

भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 (यथासंशोधित) के प्रावधानानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड एवं वसूल किये जाने वाली राशि को कम किये जाने का कोई अधिकार जिला प्रशासन में निहित नहीं है।

अतः अर्थदण्ड के न्यूनारोपण `18,86,290/- का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग 2 अ

प्रस्तर- 2 : रॉयल्टी का न्यूनारोपण `8.09 लाख ।

उत्तराखण्ड शासन, औध्यो गक वकास अनुभाग की अ धसूचना संख्या॰ 1207/VII-1/24-ख/2007 दिनाँक 07.08.2015 द्वारा प्रख्या पत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम-21 की प्रथम अनुसूची के बिन्दु-13 के अनुसार डोलोमाइट की दर `500/- प्रति टन है।

कार्यालय जिला खान अ धकारी, पथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में उप-खनिज उत्पादन एवं निकासी रजिस्टर की जाँच में पाया गया क मैसर्स एन॰बी॰ मनरल्स कार्पोरेशन ग्राम-डुण्डू, तहसील-डीडीहाट, पथौरागढ़ का मैग्नेसाइट एवं डोलोमाइट का उत्पादन, निकासी व अवशेष का ववरण निम्नवत था:

माह	खनिज का नाम	उत्पादन (टन में)	निकासी (टन में)	अवशेष (टन में)
08/2015	डोलोमाइट	1099.458	999.458	280.00
09/2015	डोलोमाइट	802.302	904.302	180.00

जाँच में पाया गया क पट्टाधारक द्वारा माह 08/2015 एवं 09/2015 में क्रमश: `74959/- एवं `67823/- (कुल `142782/-) चालान के माध्यम से डोलोमाइट की रॉयल्टी जमा की गयी थी। चूं क माह 08/2015 एवं 09/2015 में डोलोमाइट की निकासी क्रमश: 999.458 टन व 904.302 टन (कुल 1903.76 टन) थी, अतः `500/टन की दर से 1903.76 टन डोलोमाइट की रॉयल्टी ` 951880/- जमा की जानी थी जब क `75/टन की दर से `142782/- ही रॉयल्टी पट्टाधारक द्वारा जमा की गयी थी। इस प्रकार अंतरीय रॉयल्टी की धनरा श ` 809098/- (951880-142782) कम जमा करायी गयी थी। इस रा श पर देय ति थ से रॉयल्टी जमा कराये जाने की ति थ तक नियमानुसार 24% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में कहा क पट्टाधारक को नोटिस भेजकर की गयी कार्यवाही से लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः रॉयल्टी की धनरा श `809098/- कम जमा कये जाने का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा है		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - **शून्य**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -**लेखापरीक्षा के दौरान इंगित आपत्तिगत धनराशि `33.32 लाख में से 6.7 लाख की त्वरित वसूली की गयी।

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -**कोई नहीं डी.डी.ओं. कार्य नहीं किया जा रहा है।

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला खान अधिकारी, पथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रदीप कुमार	जिला खान अधिकारी पथौरागढ़

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला खान अधिकारी, पथौरागढ़को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र